PROPOSAL NO. : - FP/UP/WATER/155091/2022
FOREST LAND PROPOSED FOR DIVERSION: 8.161809 Ha.
FULL TITLE OF THE PROJECT:- Diversion of 8.161809 Hectare forest land for laying of Drinking Water Distribution Pipeline (Total Km 96.30) under Jakhlaun Birdha, Dhorra Balabehat, Kadesara Kalan and Mau Group of Village Water Supply Scheme, District- Lalitpur (U.P.).

मानक शर्तें

(वन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या- 7314/14-3-1980/344, दिनांक-31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति आरक्षित/संरक्षित भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का प्रयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तिरत नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगे और ऐसा किये जाने पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस संबंध में बनाये गये गुनारे आदि की देखभाल करेगा।
7. हस्तांन्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तिरत विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन्य जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाए। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा। परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों /पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को नि:शुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वत: बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वत: बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।
11. सडक निर्माण में एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श भूतत्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, पैडी को संबंधित पत्र संख्या- 608/सी दिनांक- 10.02.1982 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का मामूली फेरबदल कर पक्का कराना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सडक का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खडे वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ0प्र0 वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उपयुक्त समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि फिर भी पेडों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेडों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

प्रतिहस्ताक्षरित
दीक्षा भण्डारी
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललि

GAYATRI RAMKY (INDIA) HYDERABAD

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ0प्र0

14. हस्तान्तरित भूमि में पडने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड के स्थान पर दस पेडों का रोपण तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खडे वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज के पेडों का पातन भी निषिद्ध है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विधुत लाइन ले जाने मे यथासंभव पेडों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेडों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेडों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की संभावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

मैं, **Avneesh Singh, Secretary DWSM/ Executive Engineer, Construction Unit, Uttar Pradesh, Jal Nigam, Donda Ghat, Lalitpur** प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

GAYATRI-RAMKY (JV) HYDERABAD

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
ललितपुर

प्रतिहस्ताक्षरित

दीक्षा भण्डारी
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर